



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 959 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक-गोपेश्वर 06/06 /2020

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/19747/2016)

सन्दर्भ :-
महोदय,

नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक शून्य दि. 27.04.2020।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/19747/2018 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	It is noticed that road beyond the habitation (point 46 of the digital map) does not seem to be justified	ग्रामीणों की सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त संरेखण को प्रस्तावित किया जाता है, जिसे भूगर्भवेत्ता द्वारा उपयुक्त बताये जाने के उपरान्त ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संरेखण को अनुमोदित किया जाता है। मोटर मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया जाता है कि वन सम्पदा एवं अन्य सम्पत्तियों को कम से कम क्षति पहुंचे। प्रस्तावित मोटर मार्ग में उपयुक्त संरेखण को ही प्रयुक्त किया गया है, जिससे कि ग्राम लांजी, पोखनी की जनता प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही है।
2	Whether the road lies in the Bhagirathi Eco Sensitive Zone or not, a certificate to that effect should be provided by the concerned DFO.	Certificate of road lies in the Bhagirathi Eco Sensitive Zone or not, uploaded in Additional information sl.No. & also in soft copy.

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न - सूचना 4 प्रतियों में मूल में।

6-6-20
अधिशासी अभियन्ता
प्रां. खं. लो. नि. वि.,
गोपेश्वर